उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक B/7335/चार–12–14/2010 जबलपुर, दिनांक 8/10/2025

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल ने उनकी अधिसूचना कमांक ई.फा.कमांक 610174/21–ब (एक),/2025, दिनांक 04.09.2025 की प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इंदौर
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर
3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश .....(समस्त).....मध्यप्रदेश,
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय .....(समस्त).....मध्यप्रदेश,
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, द्वितीय, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
6. संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, जबलपुर,
7. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
8. संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी.....समस्त.....मध्यप्रदेश,
9. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश
10. डिप्टी रजिस्ट्रार–कम–पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर
12. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर
13. रजिस्ट्रार (एम.)/ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
14. उप नियंत्रक (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
15. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
16. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
17. सदस्य, शिकायत निवारण सेल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
18. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.).....(समस्त),उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
19. प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी, लेखा, पेंशन, सहायक पुस्तिका (राजपत्रित), लेखा, गोपनीय, शिकायत, सहायक वेतन पत्रक, बजट अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना कमांक ई.फा.कमांक 610174/21–ब (एक),/2025, दिनांक 04.09.2025

(रवि शंकर डेकाटे)
ओ.एस.डी.(लेखा)

मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 04/09/2025

अधिसूचना

ई. फा.क्रमांक 610174/21—ब(एक)/2025, यतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 643/2015, ऑल इण्डिया जजेस एसोसिएशन विरूद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य, आदेश दिनांक 19—05—2022 में दिए गए निर्देशों के पालन में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में उप—नियम (1) में, खण्ड (दस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(दस) सभी तरह की उपदान की राशि की अधिकतम सीमा 25 लाख रूपए होगी।"।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(अनिल कुमार पाठक)
सचिव,
म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

Bhopal, Date 04/09/2025

E. F.NO 610174/XXI-B(One)/2025- Whereas, in compliance of directions made by Hon'ble the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 643/15, All India Judges Association Vs. Union of India and Others dated 27-07-2022 and in exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2022, namely:-

Continue..

SCANNED

AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, in sub-rule (1), for clause (x), the following clause shall be substituted, namely:-

"(x) The maximum limit of all kinds of gratuity shall be Rs. 25 Lakhs-.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from Ist January, 2024.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

Digitally signed by ANIL KUMAR PATHAK
Date: 11-09-2025 12:37:13

(**Anil Kumar Pathak**)
Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Law and Legislative Affairs Department,

Encl E, F.No. 610174/21-B(One)/2025 Bhopal, Date 04/09/2025

1. Registrar General, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information and necessary action.
2. Dy. Controlloer, Govt Press, Bhopal for publication in the next edition of M.P.Gazatte.
3. Dy. Secretary, Office of the Chief Secretary with compliance order of cabinet for information.

(**Anil Kumar Pathak**)
Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Law and Legislative Affairs Department,